रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-10092026-276116
CG-GJ-E-10092026-276116

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948
No. 538] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 31 अगस्त 2026

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026

आईएफएससीए/जीएन/2026/015.— अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 28ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2025 (जिसे इसके पश्चात मूल विनियम कहा जाएगा) में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियमों के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) के खंड (घ) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

   "(घ) "सहभागी" का तात्पर्य है-

(i) ऐसा व्यक्ति, जिसमें एफएमई का कोई निदेशक या साझेदार या ट्रस्टी, या स्वयं एफएमई, या इन विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (2) के अधीन नियुक्त कोई न्यासी, अकेले या संयुक्त रूप से, प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी या साझेदारी हित या इसी तरह का कोई अन्य प्रत्यक्ष आर्थिक हित (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) का बीस प्रतिशत (20%) या उससे अधिक हिस्सा रखता हो;

(ii) कोई व्यक्ति, जो अकेले या संयुक्त रूप से, एफएमई में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी या साझेदारी हित या इसके समान कोई अन्य प्रत्यक्ष आर्थिक हित (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) का बीस प्रतिशत (20%) या उससे अधिक हिस्सा रखता हो; या

(iii) कोई अन्य व्यक्ति, जिसमें उप-खंड (ii) में बताए गए व्यक्ति के पास प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी या साझेदारी हित या इसके समान कोई अन्य प्रत्यक्ष आर्थिक हित (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) का बीस प्रतिशत (20%) या उससे अधिक हिस्सा हो।

बशर्ते कि इन विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (2) के अधीन किसी स्कीम के न्यासी के तौर पर नियुक्त व्यक्ति को एफएमई का सहभागी नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह व्यक्ति उस एफएमई में कोई प्रत्यक्ष आर्थिक हित या नियंत्रण न रखता हो।

स्पष्टीकरण.– इस खंड के उद्देश्य के लिए, "व्यक्ति" का वही तात्पर्य होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (धनशोधन विरोधी, आतंकवाद वित्त-पोषण निवारण और अपने ग्राहक को जानें) दिशानिदेश, 2022 में दिया गया है, जिसमें समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकता है।"

3. मुख्य विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) के परंतुक में, "जमा प्रमाणपत्र" शब्दों और चिह्नों का लोप किया जाएगा।

4. मुख्य विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (1) में, प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक समाहित किया जाएगा, अर्थात: -

"बशर्ते यह भी कि स्कीम के प्रथम समापन से पूर्व योगदानकर्ताओं से प्राप्त किसी भी पैसे का उपयोग केवल विनियम 22 के उप-विनियम (1) के अधीन उन स्वीकार्य निवेशों में किया जाएगा, जो पूंजी की सुरक्षा और एफएमई द्वारा नियोजन ज्ञापन में यथा-निर्दिष्ट समय-पूर्व आहरण के विकल्प वाली बैंक जमा राशि, एक दिवसीय अवधि की निधि आदि जैसे निवेश में किए गए धन की पर्याप्त नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हों।"

5. मुख्य विनियमों के विनियम 23 के उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक समाहित किया जाएगा, अर्थात: -

"बशर्ते कि वेंचर कैपिटल स्कीम निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, निधि जुटाने के पश्चात के राउंड में उन निवेशित कंपनियों में और निवेश कर सकती है, जिन्हें बने हुए दस (10) वर्ष हो चुके हैं;:

(i) ऐसी निवेशित कंपनियों में बाद की निवेश स्कीम(मों) के निवेश उद्देश्यों और निवेश रणनीति, इसके नियोजन ज्ञापन के प्रावधानों और इस मामले में एफएमई की आंतरिक नीतियों के अनुसार होगी;

(ii) नियोजन ज्ञापन और योगदान समझौते के अनुसार, निवेशक की अपनी पसंद या एफएमई के निर्णय से किसी निवेशित कंपनी से निवेशक को बाहर किए जाने की स्थिति

में, ऐसे निवेशक को उस कंपनी में निवेश के पश्चात के चक्रों (राउंड) में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

(iii) बाद के किसी भी राउंड में स्कीम का योगदान इस हद तक सीमित होना चाहिए कि ऐसी निवेशित कंपनी में स्कीम का इश्यू-पश्च लाभकारी हित (पूर्णतः विलियत आधार पर) उसमें उसके इश्यू-पूर्व लाभकारी हित (पूर्णतः विलियत आधार पर) से अधिक न हो।"

6. मुख्य विनियमों के विनियम 23 में, उप-विनियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम समाहित किया जाएगा, अर्थात: -

"(5) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि वेंचर कैपिटल स्कीम में वरिष्ठ और कनिष्ठ या अधीनस्थ यूनिट्स जारी करके निवेशकों को वितरण के जो अलग-अलग अधिकार दिए जाते हैं, वे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ढांचा के अनुसार हों।

स्पष्टीकरण। – "वरिष्ठ यूनिट्स" का तात्पर्य यूनिटों का वह वर्ग है जिसे वेंचर कैपिटल स्कीम से मिलने वाली वितरण राशि पर बेहतर अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि "कनिष्ठ यूनिट्स" या "अधीनस्थ यूनिट्स" का तात्पर्य यूनिटों के उन वर्गों से है, जिनमें मध्यम यूनिट्स भी शामिल हैं, जिनके अधिकार स्कीम से मिलने वाली वितरण राशि पर वरिष्ठ यूनिट्स की तुलना में कमतर होते हैं।"

7. मुख्य विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (2) और (3) को निम्नलिखित उप-विनियमों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"(2) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि निवल परिसंपत्ति मूल्य की जानकारी निवेशकों को कम से कम वार्षिक आधार पर दी जाए। यह उस वित्तीय वर्ष से आरंभ होगी जिसमें स्कीम निवेश गतिविधियां आरंभ करती है, इसमें विनियम 22 के उप-विनियम (1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार किए गए निवेश शामिल नहीं हैं, और यह जानकारी स्कीम के नियोजन ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर दी जाएगी।

(3) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम के अधीन पोर्टफोलियो की जानकारी निवेशकों को कम से कम वार्षिक आधार पर दी जाए। यह उस वित्तीय वर्ष से आरंभ होगा जिसमें स्कीम निवेश गतिविधियां आरंभ करेगी, इसमें विनियम 22 के उप-विनियम (1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार किए गए निवेश शामिल नहीं हैं, और यह जानकारी हर वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के एक (1) माह के भीतर दी जाएगी।"

8. मुख्य विनियमों के विनियम 26 में, उप-विनियम (2) में, "के अनुरूप" शब्दों को "निवेशकों के लिए निवल परिसंपत्ति मूल्य की गणना और प्रकटीकरण के उद्देश्य से और इसके अनुरूप" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. मुख्य विनियमों के विनियम 26 में, उप-विनियम (2) के अधीन, विद्यमान उपबंध को निम्नांकित उपबंध से प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि यह अपेक्षा उन निवेशों पर लागू नहीं होगी जो किसी स्कीम द्वारा अन्य स्कीम(मों) में किए गए हों, जिन्हें किसी वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा प्रत्यक्ष या प्रबंधक के माध्यम से आईएफएससी, भारत या विदेशी क्षेत्राधिकारों में विनियमित किया जाता हो, और जिनका मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एंटिटी द्वारा किया जाता हो।"

10. मुख्य विनियमों के विनियम 27 में, उप-विनियम (1) में, "वार्षिक आधार पर", शब्दों के पश्चात, ", विनियम 22 के उप-विनियम (1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार किए गए निवेशों को छोड़कर, उस वित्तीय वर्ष से आरंभ करते हुए जिसमें स्कीम निवेश गतिविधियां आरंभ करेगी" शब्दों और चिह्नों को समाहित किया जाएगा:

11. मुख्य विनियमों के विनियम 28 में, उप-विनियम (1) को इस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा: -

"(1) वेंचर कैपिटल स्कीम के अधीन, एफएमई या उसका सहयोगी, संचयी राशि का कम से कम 2.5% या यूएसडी 750,000, जो भी कम हो, निवेश करेगा बशर्ते कि ऐसा योगदान संचयी राशि के 10% से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते कि भारत के बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत स्कीमों के आईएफएससी में पुनर्स्थापित होने की स्थिति में एफएमई या उसके सहयोगी का योगदान अनिवार्य नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि 10% की सीमा वेंचर कैपिटल स्कीम पर लागू नहीं होगी यदि:

(i) स्कीम में निवेश करने वाले एफएमई और उसके सहयोगी भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति हों और भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उनका अंतिम लाभकारी स्वामी न हो और स्कीम के संचयी राशि का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा निवेशित कंपनी और उसके सहयोगियों में निवेश न किया गया हो, या

(ii) स्कीम में निवेश करने वाले एफएमई और उसके सहयोगी भारत में रहने वाले व्यक्ति हों या भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति उनका अंतिम लाभकारी स्वामी हो, स्कीम के अधीन निवेश केवल विनियम 22 के उप-विनियम (1) के अनुसार आईएफएससी या विदेशी क्षेत्राधिकारों में स्वीकार्य निवेशों में किए जाएं और उक्त योगदान स्कीम के संचयी राशि के 25% से अधिक न हो।"

12. मुख्य विनियमों के विनियम 28 में, उप-विनियम (3) में, "अध्याय II में विस्तार से वर्णित" शब्दों को निम्नांकित शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट"

13. मुख्य विनियमों के विनियम 28 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ग) को इस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा: -

"(ग) यह स्कीम 'निधियों की निधि' स्कीम है जो समान अपेक्षाओं वाली स्कीम(मों) में निवेश करती है, जिसमें आईएफएससी में वर्तमान स्कीम का एफएमई द्वारा सक्रिय प्रबंधन नहीं किया जाता और आधारभूत स्कीम(मों) के बीच आवंटन की जानकारी स्कीम के नियोजन ज्ञापन में प्रकट की जाती है।"

14. मुख्य विनियमों के विनियम 31 के उप-विनियम (3) में, विद्यमान परंतुक को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि यदि कोई एफएमई, विनियम 35 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट संचयी राशि के न्यूनतम आकार को तय समय-सीमा के भीतर प्राप्त करने में विफल रहती है, तो उसके पास नियोजन ज्ञापन की वैधता बढ़ाने का विकल्प होगा। ऐसी प्रत्येक वृद्धि, नियोजन ज्ञापन की विद्यमान वैधता समाप्त होने के अगले दिन से छह (6) माह की अवधि के लिए होगी। इसके लिए एफएमई को तब आवेदन करना होगा जब नियोजन ज्ञापन की वैधता अभी भी बनी हुई हो, और साथ में निम्नांकित शुल्क जमा करना होगा-

(i) पहली वृद्धि के लिए, नई स्कीम फाइल करने पर लागू होने वाले शुल्क का पच्चीस प्रतिशत (25%), जो उस विस्तार के समय लागू हो; और

(ii) पश्चात की हर वृद्धि के लिए, नई स्कीम फाइल करने पर लागू होने वाले शुल्क का पचास प्रतिशत (50%), जो उस विस्तार के समय लागू हो।"

15. मुख्य विनियमों के विनियम 34 के उप-विनियम (1) में, परंतुक से "जमा प्रमाणपत्र" शब्द और चिह्न का लोप किया जाएगा।

16. मुख्य विनियमों के विनियम 34 के उप-विनियम (1) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात निम्नांकित परंतुक समाहित किया जाएगा: -

"इसके अतिरिक्त, निश्चित अवधि की स्कीम के मामले में प्रथम समापन से पूर्व, या अनिश्चित अवधि की स्कीम के मामले में 1 मिलियन यूएसडी की निधि जुटाने से पूर्व, योगदानकर्ताओं से

प्राप्त किसी भी पैसे का निवेश केवल विनियम 34 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुमत निवेशों में ही किया जाएगा। ये निवेश ऐसे होने चाहिए जो पूंजी की सुरक्षा और समय से पूर्व आहरण के विकल्प वाली बैंक जमा राशि, एक दिवसीय निधि आदि जैसे निवेश किए गए पैसे की पर्याप्त नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता को बनाए रखें, जैसा कि एफएमई ने नियोजन ज्ञापन में प्रकट किया है।"

17. मुख्य विनियमों के विनियम 35 में, उप-विनियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम समाहित किया जाएगा, अर्थात: -

"(6) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि किसी प्रतिबंधित स्कीम में वरिष्ठ और कनिष्ठ या अधीनस्थ यूनिट्स जारी करके निवेशकों को दिए जाने वाले अलग-अलग वितरण अधिकार, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार हों।

स्पष्टीकरण.– "वरिष्ठ यूनिट्स" का तात्पर्य यूनिट्स की उस श्रेणी से है जिसे प्रतिबंधित स्कीम से होने वाले वितरण पर बेहतर अधिकार प्राप्त हैं, जबकि "कनिष्ठ यूनिट्स" या "अधीनस्थ यूनिट्स" का तात्पर्य यूनिट्स की उन श्रेणियों से है, जिनमें मध्यम यूनिट्स भी शामिल हैं, जिनके अधिकार स्कीम से होने वाले वितरण पर वरिष्ठ यूनिट्स की तुलना में कमतर होंगे।"

18. मुख्य विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम (3) और (4) को निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"(3) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि अनिश्चित अवधि की स्कीम के मामले में निवेशकों को एनएवी की जानकारी कम से कम मासिक आधार पर और निश्चित अवधि की स्कीम के मामले में छमाही आधार पर दी जाए। यह जानकारी, विनियम 34 के उप-विनियम (1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार किए गए निवेश को छोड़कर, उस माह या छमाही, जैसा भी मामला हो, अवधि से आरंभ होगी जिसमें स्कीम निवेश गतिविधियां आरंभ करेगी और यह जानकारी स्कीम के नियोजन ज्ञापन में प्रकट किए गए समय के भीतर दी जाएगी।

बशर्ते कि निश्चित अवधि की स्कीम के मामले में, स्कीम में निवेश के मूल्य के आधार पर कम से कम 75% निवेशकों की पूर्व स्वीकृति से इस छमाही अवधि को बढ़ाकर एक वर्ष किया जा सकता है।

(4) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम के अधीन पोर्टफोलियो की जानकारी निवेशकों को कम से कम तिमाही आधार पर दी जाएगी और यह उस तिमाही से आरंभ होगी जिसमें स्कीम निवेश गतिविधियां आरंभ करेगी और विनियम 34 के उप-विनियम (1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार किए गए निवेश के बारे में, यह जानकारी प्रत्येक तिमाही के अंत से एक (1) माह के भीतर दी जाएगी।"

19. मुख्य विनियमों के विनियम 38 में, उप-विनियम (2) में, "के अनुरूप" शब्दों को "निवेशकों के लिए एनएवी की गणना और प्रकटीकरण के उद्देश्य से और इसके अनुरूप" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

20. मुख्य विनियमों के विनियम 38 में, उप-विनियम (2) में, विद्यमान परंतुक को निम्नलिखित परंतुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"बशर्ते कि यह अपेक्षा उन निवेशों पर लागू नहीं होगी जो किसी स्कीम द्वारा अन्य स्कीम (मों) में किए गए हों, जिन्हें किसी वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा, प्रत्यक्ष या प्रबंधक के माध्यम से, आईएफएससी, भारत या विदेशी क्षेत्राधिकारों में विनियमित किया जाता हो, और जिनका मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एंटिटी द्वारा किया जाता हो।"

21. मुख्य विनियमों के विनियम 39 में, उप-विनियम (1) को निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(1) एफएमई, विनियम 34 के उप-विनियम (1) की द्वितीय परंतुक के अनुसार किए गए निवेशों को छोड़कर, उस माह से आरंभ करके जिसमें स्कीम निवेश गतिविधियां आरंभ करेगी, प्रत्येक प्रतिबंधित स्कीम की एनएवी की गणना कम से कम एक माह में एक बार करेगा,:

इसके अतिरिक्त, ऐसी निश्चित अवधि की स्कीम के लिए जिनके लिए एफएमई ने विनियम 36 के उप-विनियम (3) के उपबंध के अधीन निवेशकों से पूर्व से स्वीकृति ले ली है, एनएवी की गणना कम से कम वार्षिक की जाएगी। यह उस वित्तीय वर्ष से आरंभ होगी जिसमें स्कीम निवेश गतिविधियां आरंभ करेगी, लेकिन इसमें विनियम 34 के उप-विनियम (1) के द्वितीय उपबंध के अनुसार किए गए निवेश शामिल नहीं होंगे।"

22. मुख्य विनियमों के विनियम 40 में, उप-विनियम (1) को निम्नांकित उप-विनियम से प्रतिस्थापित होगा, अर्थात: -

"(1) प्रतिबंधित स्कीम के अधीन, एफएमई या उसका सहयोगी कुछ राशि का योगदान करेगा,-

(क) निश्चित अवधि की स्कीम के मामले में, संचयी राशि का कम से कम 2.5% या यूएसडी 750,000, जो भी कम हो, बशर्ते कि यह योगदान संचयी राशि के 10% से अधिक न हो;

(ख) अनिश्चित अवधि की स्कीम के मामले में, संचयी राशि का कम से कम 5% या यूएसडी 1,500,000, जो भी कम हो, बशर्ते कि यह योगदान संचयी राशि के 10% से अधिक न हो:

बशर्ते कि भारत के बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत स्कीम को आईएफएससी में पुनर्स्थापित करने के मामले में एफएमई या उसके सहयोगी का योगदान अनिवार्य नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि, 10% की सीमा प्रतिबंधित स्कीम पर लागू नहीं होगी यदि:

(i) स्कीम में निवेश करने वाले एफएमई और उसके सहयोगी भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं और उनका कोई भी अंतिम लाभकारी स्वामी भारत में रहने वाला व्यक्ति नहीं है और स्कीम के संचयी राशि का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा किसी निवेशित कंपनी और उसके सहयोगियों में निवेश नहीं किया गया है; या

(ii) स्कीम में निवेश करने वाले एफएमई और उसके सहयोगी भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं या उनका कोई अंतिम लाभकारी स्वामी भारत में रहने वाला व्यक्ति है, स्कीम के अधीन निवेश केवल आईएफएससी या विदेशी क्षेत्राधिकारों में विनियम 34 के उप-विनियम (1) के अनुसार स्वीकार्य निवेशों में किया गया है और उक्त योगदान स्कीम के संचयी राशि के 25% से अधिक नहीं है।"

23. मुख्य विनियमों के विनियम 40 में, उप-विनियम (3) में, "अध्याय II के अधीन विस्तार से वर्णित" शब्दों को इन शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट"

24. मुख्य विनियमों के विनियम 40 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ख) से 'या' शब्द का लोप किया जाएगा।

25. मुख्य विनियमों के विनियम 40 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ग) में, "." चिह्न को ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा।

26. मुख्य विनियमों के विनियम 40 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ग) को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ग) यह स्कीम 'निधियों की निधि' स्कीम है जो समान अपेक्षाओं वाली स्कीम(मों) में निवेश करती है, जिसमें आईएफएससी में वर्तमान स्कीम का एफएमई द्वारा सक्रिय प्रबंधन नहीं किया

जाता है और आधाराभूत स्कीम(मों) के आपसी आवंटन की जानकारी स्कीम के नियोजन ज्ञापन में प्रकट की जाती है।"

27. मुख्य विनियमों के विनियम 40 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ग) के पश्चात, ये खंड समाहित किए जाएंगे:-

"(घ) यह स्कीम एक सूचकांक स्कीम है; या

(ङ) यह स्कीम एक 'निधियों की निधि' स्कीम है जो सूचकांक स्कीमों या निष्क्रिय ईटीएफ में निवेश करती है, और आधारभूत स्कीमों के आपसी आवंटन की जानकारी स्कीम के नियोजन ज्ञापन में प्रकट की जाती है।"

28. मुख्य विनियमों के विनियम 46 में, उप-विनियम (1) के परंतुक में, "जमा प्रमाणपत्र" शब्द और चिह्न का लोप किया जाएगा।

29. मुख्य विनियमों के विनियम 46 में, उप-विनियम (1) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक समाहित किया जाएगा, अर्थात: -

"बशर्ते यह भी कि निश्चित अवधि की स्कीम के मामले में विनियम 47 के उप-विनियम (6) के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम आकार तक पहुँचने से पूर्व, या अनिश्चित अवधि की स्कीम के मामले में 1 मिलियन यूएसडी की निधि जुटाने से पूर्व, योगदानकर्ताओं से प्राप्त किसी भी धन का निवेश केवल विनियम 46 के उप-विनियम (1) के अनुसार ऐसे स्वीकार्य निवेशों में किया जाएगा, जो एफएमई द्वारा पेशकश दस्तावेज में प्रकट किए गए समय से पूर्व आहरण के विकल्प वाली बैंक जमा राशि, एक दिवसीय निधि आदि जैसी निवेश धनराशि की सुरक्षा और पर्याप्त नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हों।"

30. मुख्य विनियमों के विनियम 47 में, उप-विनियम (4) में, तृतीय परंतुक को निम्नलिखित परंतुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"बशर्ते यह भी कि निधियों की निधि स्कीम के मामले में, क्षेत्र-वार अंतराल पर सीमा लागू नहीं होगी यदि ऐसी स्कीम अन्य स्कीम(मों) में निवेश कर रही है जो अपने गृह न्यायाधिकार में संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित की जाती हैं और जिन्हें अपने गृह न्यायाधिकार में फुटकर निवेशकों को पेशकश करने की अनुमति है।"

31. मुख्य विनियमों के विनियम 48 में, उप-विनियम (2) में, "स्कीम का प्रस्तावित कार्यकाल" शब्दों और चिह्न के पश्चात और "शुल्क और व्यय" शब्दों से पूर्व, ", गणना की विधि और एनएवी का प्रकटीकरण," शब्द और चिह्न अंतर्निष्ठ किए जाएंगे।

32. मुख्य विनियमों के विनियम 48 में, उप-विनियम (2) में, "शुल्क और व्यय" शब्दों और चिह्न के पश्चात, और "जोखिम प्रबंधन प्रथाओं" शब्दों से पूर्व, "हितों का टकराव" शब्द और चिह्न समाहित किए जाएंगे।

33. मुख्य विनियमों के विनियम 48 में, उप-विनियम (4) और (5) को निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"(4) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि एनएवी की जानकारी निवेशकों को दैनिक आधार पर (अनिश्चित अवधि की स्कीम के मामले में) और कम से कम साप्ताहिक आधार पर (निश्चित अवधि की स्कीम के मामले में) दी जाए। यह जानकारी प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से दी जाएगी जो विनियम 46 के उप-विनियम (1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार किए गए निवेश को छोड़कर, उस दिन या सप्ताह से आरंभ होगी, जब स्कीम निवेश गतिविधियाँ आरंभ करेगी।

(5) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम के अधीन पोर्टफोलियो की जानकारी निवेशकों को कम से कम तिमाही आधार पर दी जाए। विनियम 46 के उप-विनियम (1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार किए गए निवेश को छोड़कर, यह जानकारी उस तिमाही से आरंभ होगी जब स्कीम निवेश गतिविधियाँ आरंभ करेगी और यह जानकारी हर तिमाही के समाप्त होने के एक (1) माह के भीतर दी जाएगी।"

34. मुख्य विनियमों के विनियम 50 में, उप-विनियम (2) में, "के अनुरूप" शब्दों को "निवेशकों को एनएवी की गणना और जानकारी देने के उद्देश्य से और इसके अनुरूप" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

35. मुख्य विनियमों के विनियम 50 में, उप-विनियम (2) में, विद्यमान परंतुक को निम्नलिखित परंतुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"बशर्ते कि यह अपेक्षा उन निवेशों पर लागू नहीं होगी जो किसी स्कीम द्वारा अन्य स्कीम (मों) में किए गए हों, जिन्हें किसी वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा आईएफएससी, भारत या विदेशी अधिकार क्षेत्र में प्रत्यक्ष या प्रबंधक के माध्यम से विनियमित किया जाता हो, और जिनका मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एंटिटी द्वारा किया गया हो।"

36. मुख्य विनियमों के विनियम 51 में, उप-विनियम (1) को निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(1) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक फुटकर स्कीम की एनएवी की गणना अनिश्चित अवधि की स्कीम के मामले में दैनिक आधार पर और निश्चित अवधि की स्कीम के मामले में साप्ताहिक आधार पर की जाए। यह गणना विनियम 46 के उप-विनियम (1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार किए गए निवेश को छोड़कर, प्राधिकरण द्वारा यथा=निर्दिष्ट तरीके से की जाएगी और यह उस दिन या सप्ताह, जैसा भी मामला हो, से आरंभ होगी जब स्कीम निवेश गतिविधियाँ आरंभ करेगी।"

37. मुख्य विनियमों के विनियम 52 में, उप-विनियम (1) में, पूर्व और द्वितीय परंतुक को निम्नलिखित परंतुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"बशर्ते कि एफएमई या उसके सहयोगी का योगदान निम्नलिखित मामलों में अनिवार्य नहीं होगा –

(i) भारत के बाहर स्थापित, निगमित या पंजीकृत स्कीम जिन्हें आईएफएससी में अंतरित किया गया है;

(ii) ऐसी 'निधियों की निधि' स्कीम, जो समान आवश्यकताओं वाली स्कीम(मों) में निवेश करती है, जहाँ आईएफएससी में वर्तमान स्कीम में एफएमई द्वारा सक्रिय प्रबंधन शामिल नहीं है और अंतर्निहित स्कीम(मों) के आपसी आवंटन का विवरण स्कीम के पेशकश दस्तावेज़ में प्रकट किया गया है;

(iii) एक सूचकांक स्कीम; या

(iv) 'निधियों की निधि' स्कीम जो केवल सूचकांक स्कीम या निष्क्रिय ईटीएफ में निवेश करती है, और अंतर्निहित स्कीम(मों) के आपसी आवंटन का विवरण स्कीम के पेशकश दस्तावेज़ में प्रकट किया गया है।"

38. मुख्य विनियमों के विनियम 52 में, उप-विनियम (3) में, "अध्याय II के अधीन विस्तृत" शब्दों को निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट"

39. मुख्य विनियमों के विनियम 72 में, उप-विनियम (1) में, "यूएसडी 3 बिलियन" शब्दों के पश्चात और "समापन के समय" शब्दों से पूर्व, ", निधियों की निधि स्कीम के एयूएम को छोड़कर," शब्द और चिह्न समाहित किए जाएँगे।

40. मूल विनियमों के विनियम 80 में, खंड (क) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(क) यह आईएफएससीए (पूंजी बाज़ार मध्यस्थ) विनियम, 2025 के विनियम 34 का अनुपालन करता है।"

41. मुख्य विनियमों के विनियम 80 में, खंड (ख) में, "आईएफएससीए (पूंजी बाज़ार मध्यस्थ) विनियम, 2021" शब्दों और चिह्नों को "आईएफएससीए (पूंजी बाज़ार मध्यस्थ) विनियम, 2025" शब्दों और चिह्नों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

42. मुख्य विनियमों के विनियम 104 में, उप-विनियम (5) में, स्पष्टीकरण II में, "विनियम 30 के अनुसरण में" शब्दों के पश्चात ", और प्राधिकरण द्वारा तदनुसार रिकॉर्ड पर लिया जाएगा." शब्द और चिह्न समाहित किए जाएंगे।

43. मुख्य विनियमों के विनियम 119 में, उप-विनियम (2) में, खंड (च) के पश्चात, निम्नलिखित खंड समाहित किया जाएगा, अर्थात: -

"(चक) इन विनियमों के अनुपालन में एफएमई द्वारा तैयार की गई आंतरिक नीतियों, ढांचा, योजनाओं या मानक परिचालन प्रक्रियाओं से संबंधित रिकॉर्ड;"

44. मुख्य विनियमों के विनियम 134 में, उप-विनियम (1) में, "के बाद नहीं" शब्दों के पश्चात आने वाले "चार" शब्द को "छः (6)" शब्द और चिह्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

45. मुख्य विनियमों के विनियम 134 में, उप-विनियम (3) में, "के भीतर निवेशक" शब्दों के पश्चात आने वाले "चार" शब्द को "छः (6)" शब्द और चिह्नों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

46. मुख्य विनियमों के विनियम 135 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक समाहित किया जाएगा, अर्थात: -

"बशर्ते कि ऐसी अपेक्षा उन एफएमई पर लागू नहीं होगी जिन्हें सरकार और सरकार से संबंधित निवेशकों जैसे सेंट्रल बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड, अंतरराष्ट्रीय या बहुपक्षीय संगठन या अभिकरणों, जिनमें ऐसी एंटिटीज शामिल हैं जो ऐसी सरकार और सरकार से संबंधित निवेशकों द्वारा नियंत्रित हैं या जिनका कम से कम 75% स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके पास है, द्वारा स्थापित किया गया है, और जहां ऐसे निवेशक, ऐसे एफएमई द्वारा आरंभ की गई स्कीमों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र योगदानकर्ता हैं।"

47. मुख्य विनियमों में, तृतीय अनुसूची के भाग क में, जिसका शीर्षक 'निधि प्रबंधन एंटिटी (एफएमई) की आचार संहिता और दायित्व' है, मद (ढ) के पश्चात, निम्नलिखित मद समाहित की जाएगी: -

"(ण) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के पालन में तैयार की गई सभी नीतियां, ढांचा और स्कीमएं (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) एफएमई के निदेशक बोर्ड या नामित साझेदार या ट्रस्टी (जैसा भी मामला हो), या उचित अधिकृत समिति या एफएमई के नामित वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (जिन्हें ऐसी शक्तियां सौंपी गई हैं) से स्वीकृति प्राप्त करके ही लागू की जाएं।"

48. मुख्य विनियमों में, तृतीय अनुसूची के भाग ख में, जिसका शीर्षक 'न्यासियों की आचार संहिता और दायित्व' है, मद (क) की उप-मद (ix) में, निम्नलिखित का लोप किया जाएगा:

"(ग) अपने खातों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त किए हैं;" और

"(ङ) प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत निधि प्रशासक नियुक्त किए हैं या एफएमई द्वारा अन्तःगृह ऐसी गतिविधियां करने की क्षमता है"

49. मुख्य विनियमों में, तृतीय अनुसूची के भाग ख में, जिसका शीर्षक 'न्यासियों की आचार संहिता और दायित्व' है, मद (क) के उप-मद (ix) के पश्चात, निम्नलिखित उप-मद समाहित की जाएगी: -

"(ixक) स्कीम में किसी निवेशक के साथ समझौता करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना कि उसने, -

(क) अपने खातों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त किए हैं;

(ख) प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत निधि प्रशासक नियुक्त किए हैं या स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि एफएमई के पास अन्तःगृह ऐसी गतिविधियां करने की क्षमता है;

(ग) स्कीम के पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र मूल्यांकक नियुक्त किया है; और

(घ) विनियम 132 के अधीन, यदि लागू हो, तो स्कीम के लिए संरक्षक नियुक्त किया है।"

50. मुख्य विनियमों में, तृतीय अनुसूची के भाग ख में, जिसका शीर्षक 'न्यासियों की आचार संहिता और दायित्व' है, मद (क) के उप-मद (xii) में, "द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट" शब्दों को "इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

51. मुख्य विनियमों में, तृतीय अनुसूची के भाग ख में, जिसका शीर्षक 'न्यासियों की आचार संहिता और दायित्व' है, मद (क) में, उप-मद (xiii) के पश्चात, निम्नलिखित उप-मद समाहित की जाएगी, अर्थात: -

"(xiv) यह सुनिश्चित करेगा कि, जब विनियमों 23(2), 23(4), 35(3), 35(4) और 36(3) के अधीन अपेक्षित हो, तो एफएमई या तो निवेशकों की स्वीकृति लेगा या नियोजन ज्ञापन में पर्याप्त और प्रमुख जानकारी का प्रकटीकरण करेगा और निवेशक समझौते में भी इसे शामिल करेगा।"

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./307/2026-27]

नोट:

1. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2025 (मुख्य विनियम) भारत के राजपत्र में 19 फरवरी, 2025 को फ़ाइल संख्या आईएफएससीए/जीएन/2025/002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2025, 31 जुलाई 2025 को भारत के राजपत्र में फ़ाइल संख्या आईएफएससीए/जीएन/2025/007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
3. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2026, 30 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र में फ़ाइल संख्या आईएफएससीए/जीएन/2026/006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 31st August 2026

International Financial Services Centres (Fund Management) (Second Amendment) Regulations, 2026

IFSCA/GN/2026/ 015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), and section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, to further amend the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2025, (hereinafter referred to as the 'principal regulations'), namely: -

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) (Second Amendment) Regulations, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

"(d) "associate" means-

(i) a person, in which a director or partner or trustee of the FME or the FME or any fiduciaries as appointed in terms of sub-regulation (2) of regulation 17 of these Regulations, either individually or collectively, holds twenty per cent. (20%) or more of the paid-up equity share capital or partnership interest or such other equivalent direct economic interest, by whatever name called, as the case may be;

(ii) a person, either individually or collectively, holds twenty per cent. (20%) or more of the paid-up equity share capital or partnership interest or such other equivalent direct economic interest, by whatever name called, as the case may be, in the FME; or

(iii) any other person, in which the person referred to in sub-clause (ii) holds twenty per cent. (20%) or more of the paid-up equity share capital or partnership interest or such other equivalent direct economic interest, by whatever name called, as the case may be.

Provided that a person appointed as a fiduciary of a scheme, in terms of sub-regulation (2) of regulation 17 of these regulations, shall not be deemed to be an associate of the FME, unless such person holds any direct economic interest or control in such FME.

Explanation. – For the purpose of this clause, "person" shall have the same meaning assigned to it under the International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022, as may be amended from time to time."

3. In regulation 22 of the principal regulations, in sub-regulation (1), in the proviso, the words and symbol "certificates of deposit," shall be omitted.

4. In regulation 22 of the principal regulations, in sub-regulation (1), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"*Provided* further that any monies received from the contributors prior to the first close of the scheme shall be deployed only in such permissible investments as per sub-regulation (1) of regulation 22 that support preservation of capital and adequate liquidity of the monies deployed, such as bank deposits with option for premature withdrawal, overnight funds, etc., as disclosed by the FME in the placement memorandum."

5. In regulation 23 of the principal regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely: -

"*Provided* that a Venture Capital scheme may further invest during the subsequent round(s) of fund raising in such Investee Companies where ten (10) years have elapsed since incorporation of such companies, subject to the following conditions:

(i) The subsequent investment(s) in such Investee Companies shall be in accordance with the investment objectives and investment strategy of the scheme, provisions of its placement memorandum and internal policies of the FME in this matter;

(ii) In case of exclusion of an investor in an Investee Company, either by choice of the investor or the FME, in accordance with the placement memorandum and contribution agreement, such investor shall not be allowed to participate in the subsequent round(s) of investment in such company; and

(iii) The contribution by the scheme in any subsequent round should be limited to the extent that the post-issue beneficial interest (on a fully diluted basis) of the scheme in such Investee Company does not exceed its pre-issue beneficial interest (on a fully diluted basis) therein."

6. In regulation 23 of the principal regulations, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(5) The FME shall ensure that any differential distribution rights to investors through issuance of senior and junior or subordinate units in a Venture Capital scheme shall be in accordance with the framework as may be specified by the Authority.

Explanation. – "senior units" indicate such class of units which has superior rights over the distribution proceeds of the Venture Capital scheme, while "junior units" or "subordinate units" indicate such classes of

units, including mezzanine units, the rights of which over the distribution proceeds of the scheme would be inferior to that of senior units."

7. In regulation 24 of the principal regulations, for the sub-regulations (2) and (3) the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

"(2) The FME shall ensure that the Net Asset Value (NAV) is disclosed to the investors at least on a yearly basis, starting from the financial year in which the scheme commences investment activities, excluding investments made in accordance with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 22, and within such time period as disclosed in the placement memorandum of the scheme.

(3) The FME shall ensure that the portfolio under the scheme is disclosed to the investors at least on a yearly basis, starting from the financial year in which the scheme commences investment activities, excluding investments made in accordance with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 22, within one (1) month of the end of each financial year."

8. In regulation 26 of the principal regulations, in sub-regulation (2), the words "In line with", shall be substituted with the words "For the purpose of computation and disclosure of NAV to the investors and in line with".

9. In regulation 26 of the principal regulations, in sub-regulation (2), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"*Provided* that this requirement shall not apply to the investments made by a scheme in other scheme(s), that are regulated by a financial sector regulator, directly or through a manager, in IFSC, India or foreign jurisdiction(s), and valued by any independent entity."

10. In regulation 27 of the principal regulations, in sub-regulation (1), after the words "on an annual basis", the words and symbol ", starting from the financial year in which the scheme commences investment activities, excluding investments made in accordance with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 22" shall be inserted.

11. In regulation 28 of the principal regulations, the sub-regulation (1) shall be substituted as under, namely: -

"(1) Under a Venture Capital scheme, the FME or its associate shall contribute an amount which shall be at least 2.5% of the corpus or USD 750,000, whichever is lower, subject to such contribution not exceeding 10% of the corpus:

Provided that the contribution by the FME or its associate shall not be mandatory in case of relocated schemes established or incorporated or registered outside India to IFSC:

Provided further that the ceiling of 10% shall not apply to a Venture Capital scheme if:

(i) the FME and its associate investing in the scheme, are persons resident outside India and do not have any person resident in India as their ultimate beneficial owners and not more than one-third of the corpus of the scheme is invested in an Investee Company and its associates, or

(ii) the FME and its associate investing in the scheme, are persons resident in India or have any person resident in India as their ultimate beneficial owner, the investments under the scheme are made only in permissible investments, as per sub-regulation (1) of regulation 22, in IFSC or foreign jurisdictions and the said contribution does not exceed 25% of the corpus of the scheme."

12. In regulation 28 of the principal regulations, in sub-regulation (3), for the words "detailed under the Chapter II", the following words shall be substituted, namely: -

"specified under these regulations"

13. In regulation 28 of the principal regulations, in sub-regulation (4), the clause (c) shall be substituted as follows, namely: -

"(c) The scheme is a fund of funds scheme investing in scheme(s) with similar requirements, wherein the scheme in IFSC does not involve active management by the FME and the details of inter-se allocation of the underlying scheme(s) are disclosed in the placement memorandum of the scheme."

14. In regulation 31 of the principal regulations, in sub-regulation (3), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"*Provided* that if a FME fails to achieve the minimum size of corpus as specified under sub-regulation (2) of regulation 35, within the specified time period, it shall have the option to extend the validity of the placement memorandum, wherein each such extension shall be for a period of six (6) months starting from the day after the expiry of the existing validity of the placement memorandum, by filing an application at such time when the placement memorandum is still valid, accompanied by a fee equal to-

(i) for the first extension, twenty-five per cent. (25%) of the applicable fee for filing of a fresh scheme, as may be prevalent at the time of such extension; and

(ii) for each subsequent extension, fifty per cent. (50%) of the applicable fee for filing of a fresh scheme, as may be prevalent at the time of such extension."

15. In regulation 34 of the principal regulations, in sub-regulation (1), in the proviso, the words and symbol "certificates of deposit," shall be omitted.

16. In regulation 34 of the principal regulations, in sub-regulation (1), after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"*Provided* further that any monies received from the contributors prior to the first close in case of a close-ended scheme, or prior to raising USD 1 Million in funds in case of an open-ended scheme, shall be deployed only in such permissible investments as per sub-regulation (1) of regulation 34 that support preservation of capital and adequate liquidity of the monies deployed, such as bank deposits with option for premature withdrawal, overnight funds, etc., as disclosed by the FME in the placement memorandum."

17. In regulation 35 of the principal regulations, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(6) The FME shall ensure that any differential distribution rights to investors through issuance of senior, and junior or subordinate units in a Restricted scheme shall be in accordance with the framework as may be specified by the Authority.

Explanation. – "senior units" indicate such class of units which has superior rights over the distribution proceeds of the Restricted scheme, while "junior units" or "subordinate units" indicate such classes of units, including mezzanine units, the rights of which over the distribution proceeds of the scheme would be inferior to that of senior units."

18. In regulation 36 of the principal regulations, for the sub-regulations (3) and (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

"(3) The FME shall ensure that the NAV is disclosed to the investors at least on a monthly basis in case of an open-ended scheme and half-yearly in case of a close -ended scheme, starting from the month or half-year period, as the case may be, in which the scheme commences investment activities, excluding investments made in accordance with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 34, and within such time period as disclosed in the placement memorandum of the scheme.

Provided that such half-year period may be enhanced to one year in case of a close -ended scheme on prior approval of at least seventy-five per cent. (75%) investors in the scheme by value of their investments.

(4) The FME shall ensure that the portfolio under the scheme is disclosed to the investors at least on a quarterly basis, starting from the quarter in which the scheme commences investment activities, excluding investments made in accordance with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 34, within one (1) month from the end of each quarter."

19. In regulation 38 of the principal regulations, in sub-regulation (2), the words "In line with", shall be substituted with the words "For the purpose of computation and disclosure of NAV to the investors and in line with" shall be inserted.

20. In regulation 38 of the principal regulations, in sub-regulation (2), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that this requirement shall not apply to the investments made by a scheme in other scheme(s), that are regulated by a financial sector regulator, directly or through a manager, in IFSC, India or foreign jurisdiction(s), and valued by any independent entity."

21. In regulation 39 of the principal regulations, for the sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(1) The FME shall compute the NAV of each restricted scheme at least on a monthly basis, starting from the month in which the scheme commences investment activities, excluding investments made in accordance with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 34:

Provided that in case of a close - ended restricted scheme the computation of NAV shall take place at least half-yearly, starting from the half-year period in which the scheme commences investment activities, excluding investments made in accordance with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 34.

Provided further that for such close - ended schemes for which the FME has obtained prior approval from investors in terms of proviso to sub-regulation (3) of regulation 36, the computation of NAV shall take place at least yearly, starting from the financial year in which the scheme commences investment activities, excluding investments made in accordance with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 34."

22. In regulation 40 of the principal regulations, for the sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(1) Under a restricted scheme, the FME or its associate shall contribute an amount, -

(a) In case of a close - ended scheme, at least 2.5% of the corpus or USD 750,000, whichever is lower, subject to such contribution not exceeding 10% of the corpus;

(b) In case of an open-ended scheme, at least 5% of the corpus or USD 1,500,000, whichever is lower, subject to such contribution not exceeding 10% of the corpus:

Provided that the contribution by the FME or its associate shall not be mandatory in case of relocated schemes established or incorporated or registered outside India to IFSC:

Provided further that ceiling of 10% shall not apply to a restricted scheme if:

(i) the FME and its associate investing in the scheme, are persons resident outside India and do not have any person resident in India as their ultimate beneficial owners and not more than one-third of the corpus of the scheme is invested in an Investee Company and its associates; or

(ii) the FME and its associate investing in the scheme, are persons resident in India or have any person resident in India as their ultimate beneficial owner, the investments under the scheme are made only in permissible investments, as per sub-regulation (1) of regulation 34, in IFSC or foreign jurisdictions and the said contribution does not exceed 25% of the corpus of the scheme."

23. In regulation 40 of the principal regulations, in sub-regulation (3), for the words "detailed under the Chapter II", the following words shall be substituted, namely: -

"specified under these regulations"

24. In regulation 40 of the principal regulations, in sub-regulation (4), in clause (b), the words 'or' shall be omitted.

25. In regulation 40 of the principal regulations, in sub-regulation (4), in clause (c), the mark "." shall be substituted with the mark ";".

26. In regulation 40 of the principal regulations, in sub-regulation (4), the clause (c) shall be substituted as follows, namely: -

"(c) The scheme is a fund of funds scheme investing in scheme(s) with similar requirements, wherein the scheme in IFSC does not involve active management by the FME and the details of inter-se allocation of the underlying scheme(s) are disclosed in the placement memorandum of the scheme."

27. In regulation 40 of the principal regulations, in sub-regulation (4), after the clause (c), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(d) The scheme is an index scheme; or

(e) The scheme is a fund of funds scheme investing in index schemes or passive ETFs, and the details of inter-se allocation of the underlying schemes are disclosed in the placement memorandum of the scheme."

28. In regulation 46 of the principal regulations, in sub-regulation (1), in the proviso, the words and symbol "certificates of deposit," shall be omitted.

29. In regulation 46 of the principal regulations, in sub-regulation (1), after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“*Provided* further that any monies received from the contributors prior to achieving the minimum size as specified under sub-regulation (6) of regulation 47 in case of a close-ended scheme or prior to raising USD 1 Million in funds in case of an open-ended scheme, shall be deployed only in such permissible investments as per sub-regulation (1) of regulation 46 that support preservation of capital and adequate liquidity of the monies deployed, such as bank deposits with option for premature withdrawal, overnight funds, etc., as disclosed by the FME in the offer document.”

30. In regulation 47 of the principal regulations, in sub-regulation (4), for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“*Provided* also that in case of a fund of funds scheme, the limit on sectoral cap shall not be applicable if such scheme is investing in other scheme(s) which are regulated by the concerned regulatory authority in their home jurisdiction(s) and are permitted for offering to retail investors in their home jurisdiction(s).”

31. In regulation 48 of the principal regulations, in sub-regulation (2), after the words and symbol “proposed tenure of the scheme” and before the words “fees and expenses”, the words and symbol “, methodology of computation and disclosure of NAV,” shall be inserted.

32. In regulation 48 of the principal regulations, in sub-regulation (2), after the words and symbol “fees and expenses,” and before the words “risk management practices”, the words and symbol “conflicts of interest,” shall be inserted.

33. In regulation 48 of the principal regulations, for the sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

“(4) The FME shall ensure that the NAV is disclosed to the investors on a daily basis in case of an open-ended scheme and at least on weekly basis in case of a close -ended scheme, starting from the day or week, as the case may be, in which the scheme commences investment activities, excluding investments made in accordance with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 46, in such manner as specified by the Authority.

(5) The FME shall ensure that the portfolio under the scheme is disclosed to the investors at least on a quarterly basis, starting from the quarter in which the scheme commences investment activities, excluding investments made in accordance with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 46, within one (1) month from the end of each quarter.”

34. In regulation 50 of the principal regulations, in sub-regulation (2), the words “In line with”, shall be substituted with the words “For the purpose of computation and disclosure of NAV to the investors and in line with” shall be inserted.

35. In regulation 50 of the principal regulations, in sub-regulation (2), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“*Provided* that this requirement shall not apply to the investments made by a scheme in other scheme(s), that are regulated by a financial sector regulator, directly or through a manager, in IFSC, India or foreign jurisdiction(s), and valued by any independent entity.”

36. In regulation 51 of the principal regulations, for the sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) The FME shall ensure that the NAV of each retail scheme is computed on a daily basis in case of an open-ended scheme, and on a weekly basis in case of a close-ended scheme, starting from the day or week, as the case may be, in which the scheme commences investment activities, excluding investments made in accordance with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 46, in such manner as specified by the Authority.”

37. In regulation 52 of the principal regulations, in the sub-regulation (1), for the first and second proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“*Provided* that the contribution by the FME or its associate shall not be mandatory in case of –

(i) relocated schemes established or incorporated or registered outside India to IFSC;
(ii) a fund of funds scheme investing in scheme(s) with similar requirements, wherein the scheme in IFSC does not involve active management by the FME and the details of inter-se allocation of the underlying scheme(s) are disclosed in the offer document of the scheme;
(iii) an index scheme; or
(iv) a fund of funds scheme investing only in index schemes or passive ETFs, and the details of inter-se allocation of the underlying scheme(s) are disclosed in the offer document of the scheme."

38. In regulation 52 of the principal regulations, in sub-regulation (3), for the words "detailed under Chapter II", the following words shall be substituted, namely: -

"specified under these regulations"

39. In regulation 72 of the principal regulations, in sub-regulation (1), after the words "USD 3 billion", and before the words "as at the close", the words and symbol ", excluding the AUM of fund of funds schemes," shall be inserted.

40. In regulation 80 of the principal regulations, for clause(a), the following clause shall be substituted, namely: -

"(a) it complies with regulation 34 of the IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2025."

41. In regulation 80 of the principal regulations, in clause (b), for the words and symbols "IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021", the words and symbols "IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2025" shall be substituted.

42. In regulation 104 of the principal regulations, in sub-regulation (5), in Explanation II, after the words "in accordance with regulation 30", the words and symbols ", and shall accordingly be taken on record by the Authority." shall be inserted.

43. In regulation 119 of the principal regulations, in sub-regulation (2), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -

"(fa) records pertaining to internal policies, frameworks, plans or standard operating procedures prepared by the FME in compliance with these regulations;"

44. In regulation 134 of the principal regulations, in sub-regulation (1), the word "four", appearing after the words "not later than", shall be substituted with the word and symbols "six (6)".

45. In regulation 134 of the principal regulations, in sub-regulation (3), the word "four", appearing after the words "the investors within", shall be substituted with the word and symbols "six (6)".

46. In regulation 135 of the principal regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

"*Provided* that such requirement shall not be applicable for the FMEs which are set up by the Government and Government related investors such as central banks, sovereign wealth funds, international or multilateral organizations or agencies including entities controlled or at least seventy-five per cent. (75%) directly or indirectly owned by such Government and Government related investors wherein such investors are the sole contributors, directly or indirectly, of the schemes launched by such FMEs."

47. In the principal regulations, in Third Schedule, in Part A titled 'Code of Conduct and Obligations of the Fund Management Entity', after item (n), the following item shall be inserted, namely: -

"(o) The FME shall ensure that all the policies, frameworks, plans, by whatever name called, that are prepared in compliance with these regulations, approval from the Board of Directors or designated partners or trustees, as may be the case, of the FME, or from the appropriate authorised committee or designated senior management official(s) of the FME to whom such powers have been delegated, shall be obtained."

48. In the principal regulations, in the Third Schedule, in Part B titled 'Code of Conduct and Obligations of Fiduciaries', in item (a), in sub-item (ix), the following shall be omitted, namely:

"(c) appointed auditors to audit its accounts;" and

"(e) appointed fund administrators registered with the Authority or capabilities to undertake such activities in-house by the FME"

49. In the principal regulations in the Third Schedule, in Part B titled 'Code of Conduct and Obligations of Fiduciaries', in item (a), after sub-item (ix), the following sub-item shall be inserted, namely: -

"(ixa) ensure before the execution of the agreement with any investor in the scheme, that it has, -

(a) appointed auditors to audit its accounts;

(b) appointed fund administrators registered with the Authority or has satisfied itself that FME has the capabilities to undertake such activities in-house;

(c) appointed independent valuer for valuation of the portfolio of scheme; and

(d) appointed the custodian for the scheme, if applicable, in terms of regulation 132."

50. In the principal regulations, in the Third Schedule, in Part B titled 'Code of Conduct and Obligations of Fiduciaries', in item (a), in sub-item (xii), for the words "provided in Second Schedule", the words "specified under these regulations" shall be substituted.

51. In the principal regulations, in the Third Schedule, in Part B titled 'Code of Conduct and Obligations of Fiduciaries', in item (a), after sub-item (xiii), the following sub-item shall be inserted, namely: -

"(xiv) shall ensure that, when required in terms of regulations 23(2), 23(4), 35(3), 35(4) and 36(3), the FME either obtains the approval of the investors or makes adequate and prominent disclosures in the placement memorandum and also include in the investor agreement."

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./307/2026-27]

Note:

1. The International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2025the principal regulations were published in the Gazette of India on February 19, 2025, vide F. No. IFSCA/GN/2025/002.
2. International Financial Services Centres Authority (Fund Management) (Amendment) Regulations, 2025, were published in the Gazette of India on July 31, 2025, vide F. No. IFSCA/GN/2025/007.
3. International Financial Services Centres Authority (Fund Management) (Amendment) Regulations, 2026, were published in the Gazette of India on January 30, 2026, vide F. No. IFSCA/GN/2026/006.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.09.10 16:32:11 +05'30'